

संख्या 402/92/2006-एमसी (2008 का 13)

भारत सरकार/वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली ने 20th को दिनांकित किया मार्च 2008

प्रेस विज्ञप्ति

वित्त विधेयक, 2008 में प्रस्तावित आयकर अधिनियम की धारा 271 में पूर्वव्यापी संशोधन पर आशंका व्यक्त करते हुए मीडिया में कुछ खबरें आई हैं, जो निर्धारण अधिकारी को अन्य बातों के साथ-साथ आय छिपाने के मामले में जुर्माना लगाने का अधिकार देती हैं।

2. आयकर अधिनियम की धारा 271 के तहत जुर्माना लगाने के संदर्भ में, आयकर विभाग और करदाताओं के बीच इस बात पर विवाद चल रहा है कि क्या एक आकलन अधिकारी को जुर्माना कार्यवाही शुरू करने से पहले अपनी संतुष्टि दर्ज करने की आवश्यकता है। इनकम टैक्स विभाग का मानना है कि पेनल्टी की कार्यवाही शुरू करने से पहले अलग से संतुष्टि दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। आयकर आयुक्त बनाम एस.वी. अंगीदी चेट्टियार (44 आईटीआर 739; 1962) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 28 के तहत जुर्माने पर विचार करते हुए कहा है कि "अधिनियम के तहत कार्यवाही के समापन से पहले संतुष्टि, न कि नोटिस जारी करना या जुर्माना लगाने के लिए कोई कदम उठाना अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए एक शर्त है"। यही मामला एक बार फिर बेकर ग्रे एंड कंपनी (1930) लिमिटेड बनाम आयकर अधिकारी, सेंट्रल सर्किल-1, कलकत्ता एवं अन्य (112 आईटीआर 503; 1977) के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष आया। उपरोक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि "यह सच है कि आयकर अधिकारी को जुर्माना नोटिस जारी होने से पहले प्रथम दृष्टया संतुष्ट होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसे हर मामले में लिखित रूप में इस तरह की संतुष्टि दर्ज करने की आवश्यकता है"। इन निर्णयों के बाद, जहां भी परिवर्धन किए जाते हैं, मूल्यांकन अधिकारी, अलग से कोई संतुष्टि दर्ज किए बिना, दंड की कार्यवाही शुरू करने के लिए निर्देश जारी कर रहे हैं।

3. हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय की व्याख्या करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीआईवी बनाम राम कमर्शियल एंटरप्राइजेज लिमिटेड (246 आईटीआर 568; 2000) के मामले में माना है कि "यह आकलन करने वाला प्राधिकारी है जिसे जुर्माना कार्यवाही शुरू करने से पहले अपनी राय बनानी होगी और अपनी संतुष्टि दर्ज करनी होगी।"

4. इसके बाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्याम बीरी वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम सीआईटी (259 आईटीआर 625; 2002) के मामले में इस मुद्दे पर विचार किया। उपरोक्त कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय और दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय पर विचार करने के बाद, इसने माना है कि "दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रति गहन सम्मान के साथ, हम सहमत होने में असमर्थ हैं... इसलिए, हमारा मत है कि यद्यपि मूल्यांकन अधिकारी को अधिनियम की धारा 273 के तहत अपेक्षित संतुष्टि होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह अधिनियम की धारा 273 के तहत जुर्माना कार्यवाही शुरू करने से पहले उस संतुष्टि को लिखित रूप में दर्ज करे।"

5. इस मुद्दे पर परस्पर विरोधी न्यायिक राय को देखते हुए, विधायी हस्तक्षेप करना और मामले को सुलझाना आवश्यक था। इसलिए, वित्त विधेयक, 2008 के खंड 48 में आयकर अधिनियम की धारा 271 में एक नई उप-धारा (1ख) के अंतर्वेशन का प्रस्ताव है ताकि स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया जा सके कि जहां किसी कर निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन आदेश में किसी करदाता की कुल आय या हानि की गणना करने में कोई राशि जोड़ी जाती है या अस्वीकृत की जाती है, और ऐसे आदेश में धारा 271 की उप-धारा (1) के तहत जुर्माना कार्यवाही शुरू करने का निर्देश होता है, ऐसा कर निर्धारण या पुनर्मूल्यांकन आदेश उस धारा की उपधारा (1) के अधीन शास्ति कार्यवाही आरंभ करने के लिए कर निर्धारण अधिकारी की संतुष्टि माना जाएगा।

6. प्रस्तावित संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया गया है, ताकि लंबित मामलों में राजस्व विभाग के पक्ष को सुरक्षित रखा जा सके। हालाँकि, इस पूर्वव्यापी प्रभाव से करदाताओं के गुण-दोष के आधार पर जुर्माना लगाने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा, हालाँकि जुर्माना कार्यवाही शुरू करने से पहले कोई अलग से संतुष्टि दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी यह आकलन अधिकारी के लिए आवश्यक है कि वह जुर्माना लगाने से पहले अपनी संतुष्टि दर्ज करे। तदनुसार, पूर्वव्यापी संशोधन के परिणामस्वरूप न तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है और न ही करदाता को कोई पूर्वाग्रह हुआ है।